

समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 1959/2013

दिनांक 08/04/16

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- कंचनपुर चा०-02, थाना सं०- 92, अंचल-फतुहा, थाना- फतुहा, जिला- पटना में कुल 1.45 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 1.45 एकड़ है और जो मौजा- कंचनपुर चा०-02, थाना सं०-92, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	274	1538	रैयती	कृषि	0.005	श्री धीरज कुमार पिता स्व० नरेन्द्र कुमार सिंह, सा०-ऐमनबिगहा	1538 अंश	1539 अंश	1545 अंश	1538 अंश
2	277	1540	रैयती	कृषि	0.64	श्री तरुण कुमार पिता श्री यशवंत सिंह, सा०-मुस्तफापुर	1539 अंश, 1542 अंश	1540 अंश	1541 अंश	1333 अंश
3	274	1541	रैयती	कृषि	0.185	श्री राजदेव कुमार पिता श्री यशवंत सिंह, सा०-मुस्तफापुर	1542 अंश, 1543 पूर्ण	1541 अंश	1541 अंश	1540 अंश
4	274	1548	रैयती	कृषि	0.13	श्री विलास सिंह पिता बंशी सिंह, सा०- कंचनपुर	1332 अंश	1550 अंश	1549 पूर्ण	1547 पूर्ण
5	274	1549	रैयती	कृषि	0.19	राजदेव कुमार पिता यशवंत सिंह, सा०- मुस्तफापुर	1332 अंश	1550 अंश	1549 अंश	1548 पूर्ण
6	274	1552	रैयती	कृषि	0.30	1) श्री रामईश्वर चौधरी पिता राम नारायण चौधरी, सा०- मुस्तफापुर 2) विलास सिंह पिता बंशी सिंह, सा०- कंचनपुर	1550 अंश	1542 अंश, 1549 अंश	1542 अंश	1553 पूर्ण

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण क्रम के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग

किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।




समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०-१५७/१९७१

दिनांक...०१/११/७६.....

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।



समाहर्ता,
पटना